यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
(CIN:U 12000 JH 1967 GOI 000806)
डाकघर : जादुगोड़ा माईन्स, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)–832102

सं0: यूसीआईएल/उपमहाप्रबंधक(कार्मिक एवं औ0स0)/50/2026 दिनांकः 23.03.2026

सूचना

विषयः यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खंड 4.1.1 के अंतर्गत यूसीआईएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले महुलडीह परियोजना में विस्थापित मौजा धातकीडीह, भूमि अवार्ड संख्या D-09 के भूमि–विस्थापित सदस्यों को एक रोजगार प्रदान करने के संबंध में।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के W.P. (C) संख्या 2280 वर्ष 2023 के निर्देशानुसार, यूसीआईएल की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R & R Policy) नीति के अंतर्गत, महुलडीह परियोजना में विस्थापित मौजा – धातकीडीह, भूमि अवार्ड संख्या– D-09 के भू–विस्थापित परिवार के सदस्य एक नियोजन प्राप्त करने के हकदार है तथा यह स्वीकार किया गया है कि कई वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी भू–विस्थापित परिवार के बीच आपसी मतभेद होने के कारण कोई सहमति नहीं बन पाई है । झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खण्ड 4.1.1 के अनुसार एक रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया है । यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खण्ड 4.1.1 के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के बाद भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में, सभी उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों को कंपनी द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा तथा ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण के आधार पर एक उम्मीदवार को रोजगार के लिए चयनित किया जाएगा।

अतः भूमि अवार्ड संख्या D- 09 के सभी अवार्डीस (अंशधारकों) से अनुरोध है कि वे ऐसे उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों का नाम सुनिश्चित करें जो ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण में भाग लेना चाहते है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपनी नामांकन प्रपत्र इस सूचना प्रकाशन की तिथि से **30 (तीस)** दिनों के भीतर उप महाप्रबंधक(कार्मिक एवं औ0स0), जादुगोड़ा, पो0+थाना–जादुगोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)- 832102 के कार्यालय में डाक द्वारा जमा करें । सभी इच्छुक उम्मीदवारों /नामांकित व्यक्तियों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी नामांकन प्रपत्र के साथ एक शपथ पत्र अवश्य जमा करेगें कि उक्त ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण में चयनित होने पर, नियोजन के पूर्व यूसीआईएल को अधिग्रहित भूमि का कब्जा सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया ध्यान दे कि नामांकन प्रपत्र यूसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.ucil.gov.in पर उपलब्ध है। हाथ से जमा किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

क्रम संख्या	एवार्डी का नाम जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा प्रमाणित पंचाट के अनुसार	एवार्ड संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (एकड़ में)	यूसिल के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत निर्धारित नियोजन	अभियुक्ति
01.	श्री नित्यानन्द मंडल, सतादल मंडल, मधुसूदन मंडल, निशीकान्त मंडल, गंगाधर मंडल, राधानाथ मंडल, जाटव मंडल, घनश्याम मंडल एवं खेलाराम मंडल।	D-09	127	0.20	01	यूसिल पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगा।

कृते यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड